संख्या- 86/2021/761/22-4-2021-48(18)/19

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 04 अगस्त, 2021

विषय- जिला कारागार, मैनपुरी में निर्माणाधीन कैम्पस बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16992/नम-1/2019/जि0का0 मैनपुरी कै0बा0, दिनांक-15.07.2021 एवं प्रश्नगत कार्य की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-56/2019/890/22-4-19-48(18)/19, दिनांक-24.10.2019 तथा शासनादेश संख्या-44/2020/1126/22-4-2020-48(18)/19, दिनांक-24.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक-24 अक्टूबर, 2019 द्वारा जिला कारागार, मैनपुरी में कैम्पस बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु रू0 224.28 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 112.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश दिनांक-24.12.2020 द्वारा 44.85 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया जिला कारागार, मैनपुरी में कैम्पस बाउण्ड्रीवाल के निर्माण की अवशेष धनराशि में से प्रश्नगत निर्माण की स्वीकृत लागत 224.28 लाख के सापेक्ष अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 67,43,000/-(रूपया सड़सठ लाख तिरालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाय।

(5) कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-24.10.2019 एवं शासनादेश दिनांक-24.12.2020 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-12-कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021-बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-**86**/2021/761/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, मैनपुरी।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) अधीक्षक, जिला कारागार मैनपुरी।
(19) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in